फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

थीगण | अप्रार्थीगण

असकरअली | बनाम | बाबुखां वगैराह

करण : राजस्व प्रार्थना पत्र | मुकदमा नं. 105 / 2021

रेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
.12.21	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री बरितराम ढाका ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं मौजा डेह के खेत ख.न. 2167/1059 रकबा 1.2934 है., खेत ख.न. 913 रकबा 0.9308 है. एवं ख.न. 1359 रकबा 1.8373 है. भूमि प्रार्थी व अप्राथीगण 1 व 2 बडेर की पुश्तैनी भमि है। प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनो पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। अतः उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 2 मौजा डेह के खेत ख.न. 2167/1059 रकबा 1.2934 है., खेत ख.न. 913 रकबा 0.9308 है. एवं ख.न. 1359 रकबा 1.8373 है. भूमि का बैचान/बक्सीस, हस्तान्तरण आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 उक्त खेतों के दस्तावेजो का पंजियन नहीं करने एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें। पत्रावली दिनांक 20.12.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
.12/21	पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय उप०। TI का जवाब प्रस्तुत जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस एवं शेष की तलबी हेतु दिनांक 5.1.22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
1/22	पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली गत आदेशिका की पालना में दिनांक 8.3.22 को पेश हो। [signature] ... कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

5/22 बा. वेद Jayal हाल कार्य
हवाला
12.4.22

12|4|22 वकुलाय था। अप्राथी सं. 4 ता 6 की तलबी हेतु समन तलवाना पैश हो। पत्रावली वास्ते बहान एवं तामील नोटिस हेतु दिनांक 23|5|22 को पैश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

11|5|2022 अधिवक्ता प्रार्थी ने हाजिर आकर एक प्रार्थना-पत्र पत्रावली को आज तारिख पर ली जाकर जरिये विड्रोल खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी की पहचान वकील प्रार्थी श्री बस्तीराम ढाका द्वारा की गई।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विड्रोल प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 आर. टी. एक्ट का खारिज किया जाता है मिसल निर्णय नम्बर से कम हो होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

L.T.I.
हस्ताक्षर
प्रार्थी